फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चितौड़गढ़ (राज0)

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 10–ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़

बनाम

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

प्रकरण संख्या 02 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.2020	राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत अपीलार्थी श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 10–ए, अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ ने सुनवाई हेतु एक परिवाद क्रमांक 222 दिनांक 18.07.2020 को लोक सुनवाई अधिकारी (अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ) के समक्ष प्रस्तुत किया। लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा प्रार्थी के परिवाद पर निश्चित समय सीमा 15 कार्य दिवस में विनिश्चय नहीं करने तथा न ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने से अपीलार्थी द्वारा राज. सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत प्रथम अपील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को क्रमांक 281 दिनांक 21.08.2020 से प्रस्तुत की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा भी उक्त अपील का निश्चित समय सीमा 21 कार्य दिवस में विनिश्चय नहीं करने से अपीलार्थी द्वारा उक्त द्वितीय अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत जिला स्तर पर पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित परिवादों के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को लोक सुनवाई अधिकारी तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया हुआ है। अतः अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ द्वारा निश्चित समय सीमा 15 कार्य दिवस में परिवाद का निस्तारण नहीं करने पर अपीलार्थी को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निश्चित समय सीमा 30 दिवस (कार्य दिवस) के भीतर दिनांक 24.09.2020 तक प्रथम अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो कि अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत नहीं करके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	............लगातार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा राज. सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत उक्त द्वितीय अपील अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक 26.10.2020 को ड़ाक के माध्यम से प्रेषित की है किन्तु राज. सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत द्वितीय अपील पर सुनवाई की सक्षमता/ क्षैत्राधिकार माननीय संभागीय आयुक्त महोदय को प्रदत्त है।

अपीलार्थी की उक्त द्वितीय अपील को प्रथम अपील के रूप में माने जाने पर भी निश्चित समय सीमा से 21 कार्य दिवस (32 दिवस) विलम्ब से प्रस्तुत है जो कि बहुत अधिक विलम्ब है तथा विलम्ब हेतु पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं है अतः इस स्तर पर यह प्रथम अपील के रूप में निस्तारित योग्य नहीं है। निष्कर्षतः अपीलार्थी को उक्त द्वितीय अपील, संबंधित द्वितीय अपील प्राधिकारी (माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर) के यहां प्रस्तुत करने के परामर्श के साथ निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।

(के.के. शर्मा)
राज. सुनवाई का अधिकार
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर) चित्तौडगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official